

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67	परि.ता.प्र.सं.09 (क्र.88) दि.24.02.2015 (श्री अरुण भीमावद)	शाजापुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र शाजापुर में स्थित श्रीराम मंदिर श्री बांके बिहारी के सर्वे भूमि क्रमांक 321 से अवैध कब्जे के संबंध में कलेक्टर, शाजापुर को, की गई शिकायत तथा अतिक्रमकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	(1) शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है । (2) जांच की जा रही है ।		
68	परि.ता.प्र.सं.17 (क्र.277) दि. 24.02.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के उचेहरा स्थित नरसिंह भगवान अखाड़ा की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाकर अतिक्रमकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	नरसिंह भगवान अखाड़ा उचेहरा की आराजी पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।		
69	अता.प्र.सं.02 (क्र. 109) दि. 24.02.2015 (श्री अरुण भीमावद)	शाजापुर नगर पालिका क्षेत्र में धर्मस्व विभाग के अधीन मंदिरों की भूमि अवैधानिक तरीके से बेचे जाने की जांच कराई जाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	नगरपालिका से प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर से जांच कराई जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70	ता.प्र.सं.03 (क्र.373) दि. 24.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन एवं शहरी पार्किंग के लिये निर्धारित समयावधि एवं तिथि में नीति बनाई जाना ।	(1) माननीय सदस्य को आश्वास्त करता हूं कि अतिशीघ्र एक महीने के अंदर यह नीति आ जायेगी । (2) 30 दिन के अंदर नीति आ जायेगी । (3) मैं दे दूंगा ।		
71	ता.प्र.सं.06 (क्र.1528) दि. 24.02.2015 (श्री हर्ष यादव)	भोपाल विकास प्राधिकरण की एयरो सिटी परियोजना में हुई अनियमितताओं के दोषी इंजीनियर्स के विरुद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही किया जाना ।	(1) 2, सब इंजीनियर्स के खिलाफ कार्यवाही की गई, उसमें विभागीय जांच चल रही है । (2) अतिशीघ्र कर देंगे ।		
72	ता.प्र.सं.18 (क्र.445) दि.24.02.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	इंदौर नगर पालिक निगम में सम्मिलित 20 नए वार्डों में हुये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर अतिक्रमकों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना	हमने निर्देश दे दिये हैं, अतिशीघ्र वहां पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चालू हो जाएगी ।		
73	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र.266) दि. 24.02.2015 (श्री मधु भगत)	बालाघाट एवं वारासिवनी नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाना ।	नियमितीकरण की कार्यवाही प्रचलित है ।		
74	परि.ता.प्र.सं.25 (क्र.600) दि.23.02.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	भोपाल स्थित मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में नियम विरुद्ध किये गये अवैध निर्माण के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना ।	जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कार्यवाही करने हेतु भोपाल को निर्देशित किया गया है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	परि.ता.प्र.सं.75 (क्र.1400) दि. 24.02.2014 (श्री रजनीश हरवंश सिंह)	सिवनी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत छपारा का नगर पंचायत में, समीपस्थ 06 ग्रामों को जोड़कर, उन्नयन किया जाना ।	कलेक्टर, जिला-सिवनी द्वारा 06 ग्राम सम्मिलित करते हुये संशोधित प्रस्ताव दिनांक 18.06.2014 को प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

वन विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76	ता.प्र.सं.09 (क्र.1406) दि. 24.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जैसीनगर एवं राहतगढ़ वन परिक्षेत्र में वनों की सुरक्षा के लिये ट्रेंच खुदवाये जाना ।	यदि संभावना होगी तो अवश्य उस पर विचार करेंगे ।		
77	ता.प्र.सं.21 (क्र.87) दि. 24.02.2015 (श्री अरूण भीमावद)	वन परिक्षेत्र छोड़कर राजस्व क्षेत्र में 10 इंच व्यास तक के चक्राकार आरा(कटर) पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया जाना ।	प्रतिबंध विचाराधीन है ।		
78	परि.ता.प्र.सं.51 (क्र.1056) दि. 24.02.2015 (श्रीमती रेखा यादव)	जबलपुर एवं बैतूल वन वृत्त में जनवरी 2008 के पश्चात् दर्ज लघु वनोपज के पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का शीघ्र परीक्षण कराया जाकर, प्रकरण समाप्त किया जाना ।	प्रकरणों पर परीक्षणोंपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।		
79	परि.ता.प्र.सं.62 (क्र.1180) दि. 24.02.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ के सड़क विहीन वन ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना ।	वर्णित दो वनग्रामों में पक्की सड़क का निर्माण संबंधित विभाग द्वारा समयानुसार किया जायेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

वन विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	अता.प्र.सं.13 (क्र.520) दि. 24.02.2015 (श्री जतन उईके)	छिंदवाड़ा जिले के थाना बिछुआ के ग्राम गुलशी में दिनांक 22 सितम्बर 2014 को वनकर्मियों द्वारा गोली चालन की घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र कार्यवाही की जाना ।	(1) कलेक्टर, छिन्दवाड़ा द्वारा शासन को प्रेषित घटना की मजिस्ट्रियल जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलित है । (2) इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	ता.प्र.सं.08 (क्र.1187) दि. 24.02.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेमलापार से सिंधोडा मार्ग के अपूर्ण निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	इसको हम प्राथमिकता पर स्वीकृत करने का कार्यक्रम बनाएंगे ।		
82	ता.प्र.सं.10 (क्र.1008) दि.24.02.2015 (इंजी.प्रदीप लारिया)	सागर जिले के नरयावली विधान सभा क्षेत्र में टीलाखेड़ी-चावड़ा मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताएं एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	(1) अगर रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि गुणवत्ताविहीन काम हुआ है तो उन पर कार्यवाही की जायेगी । (2) उनकी रिपोर्ट आने में 15-20 दिन जितने भी लगेंगे, उसके बाद ही इसका निर्णय किया जायेगा कि वास्तव में क्या कार्यवाही कर सकते हैं ।		
83	ता.प्र.सं.11 (क्र.04) दि. 24.02.2015 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले के सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अतरैला, चौखंडी, रामबाग मार्ग का प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य कराया जाना ।	(1) आरडीसी के माध्यम से यह इस सड़क को बनाने की कार्यवाही की जा रही है । (2) टेंडर हो जाने के बाद जो कंस्ट्रक्शनर है उससे कहा जाएगा कि इस पोर्शन को पहले रिपेयर कर दे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84	ता.प्र.सं.14 (क्र.1460) दि.24.02.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ तहसील में सबलगढ से अटार मार्ग पर गुणवत्ता विहीन पेंच वर्क के कार्य की जांच स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में जांच कराई जाना ।	(1) वह भी उनके साथ जाएं और निरीक्षण हो जाएगा, जांच हो जाएगी यदि माननीय विधायक जी का आरोप सत्य पाया गया तो उस आधार पर कार्यवाही भी की जाएगी । (2) मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । एसडीएम को भी सूचित कर दिया जाएगा ।		
85	ता.प्र.सं.15 (क्र.926) दि.24.02.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले के विजयराघवगढ विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों की जांच क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में कराई जाना ।	(1) अगर माननीय विधायक जी उचित माने तो उसकी जांच करा लेंगे । (2) जांच करने की है जिसके लिए मैंने सहमति दी है और माननीय विधायक जी की उपस्थिति में जांच होगी । सड़क मोटरेबिल नहीं है तो उसको आगे काम करने के लिए लिया जाएगा ।		
86	ता.प्र.सं.19 (क्र.16) दि.24.02.2015 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	(1) उज्जैन जिले के खाचरौद से रतलाम के मध्य सड़क के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य के दोषी विभागीय अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध शीघ्र विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना । (2) खाचरौद-रतलाम सड़क को आवागमन योग्य बनाये जाने के लिए आवश्यक पेंच वर्क कराया जाना ।	(1) जो अधिकारी दोषी थे, ए.के.दूटेजा, जो ई.ई. थे, सतीश शर्मा, एस.डी.ओ., कटारिया, एस.डी.ओ. और ए.के.दुबे, सब इंजीनियर इन सभी पर रिकवरी निकाली गई है, रिकवरी भी की जाएगी और डी.ई.स्थापित करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । (2) हमारी कोशिश रहेगी कि बरसात से पहले उसमें कुछ रिपेयर करवा दिया जाए ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
87	परि.ता.प्र.सं.55 (क्र.1097) दि. 24.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले में सतनबाड़ा-नरवर सड़क के निर्माण में विलंब करने की दोषी निर्माणकर्ता एजेंसी के विरुद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना ।	अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।		
88	अता.प्र.सं.19 (क्र.656) दि. 24.02.2015 (श्री आशीष गोविंद शर्मा)	देवास जिले के कन्नौद से सीहोर जिले के आष्टा के मध्य क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का दुरुस्तीकरण कराया जाना ।	योजना का क्रियावयन शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है ।		
89	अता.प्र.सं.27 (क्र.759) दि. 24.02.2015 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले के गोरस-आवदा-अजापुर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता के लिए संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना ।	संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
90	अता.प्र.सं.44 (क्र.1088) दि. 24.02.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले के उमरी से सगरा के मध्य सड़क निर्माण में हुई गंभीर अनियमितताओं की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	जांच की जा रही है ।		
91	अता.प्र.सं.54 (क्र.1232) दि. 24.02.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर-शिवपुरी के मध्य कूनो नदी पर नवीन पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया जाना ।	प्रस्ताव परीक्षणोपरांत उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जाना संभव होगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	अता.प्र.सं.64 (क्र.1408) दि. 24.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त जैसीनगर बायपास मार्ग का पुनर्निर्माण/सुधार कार्य कराया जाना ।	क्षतिग्रस्त मार्गों को ठेकेदार की जमा पूंजी राशि रु.11.99 लाख से अनुबंध की कंडिका अंतर्गत आवश्यक मरम्मत एवं संधारण हेतु कार्यवाही की जावेगी ।		
93	अता.प्र.सं.68 (क्र.1476) दि. 24.02.2015 (श्री विश्वास सारंग)	लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01 जनवरी 2012 से 30 जून 2014 के मध्य विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही विभागीय जांच एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना ।	विभागीय जांच प्रचलन में है । जांच उपरांत कार्यवाही की जाना संभव होगा ।		
94	अता.प्र.सं.69 (क्र.1477) दि. 24.02.2015 (श्री विश्वास सारंग)	बैतूल जिले के सारणी-लोनिया रोड पर बने राजडोह पुल के त्रुटिपूर्ण निर्माण के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र जांच की जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	(1) दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन द्वारा अंतिम कारण बताओं सूचना जारी किया गया है । (2) विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95	अता.प्र.सं.59 (क्र.1289) दि. 24.02.2015 (श्री आर.डी.प्रजापति)	छतरपुर जिले में उद्योगों के लिए आवंटित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले उद्यमियों के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

खेल एवं युवक कल्याण विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
96	अता.प्र.सं.63 (क्र.1407) दि. 24.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्र के जैसीनगर में दिनांक 18 नवम्बर 2014 को आयोजित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में गंभीर अव्यवस्था एवं लापरवाही के संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई शिकायत की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	उक्त पत्र पर अनुविभाग अधिकारी(राजस्व) द्वारा तहसीलदार जैसीनगर को जांच के लिये अधिकृत किया है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
97	ता.प्र.सं.07 (क्र.1308) दि. 24.02.2015 (श्रीमती सरस्वती सिंह)	चितरंगी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रेहदा कौहा नाला पर पुल निर्माण, दिपवा से बहेरी के मध्य चुनहवा नाला पर पुल निर्माण, बहेरी से कोल्डिहा के मध्य झरिया नाले पर पुल निर्माण, बढनई से ढिलरी के मध्य सेमरा नाला पर पुल निर्माण, कपुरदेई से सूदा मार्ग में गोतान नाला पर पुल निर्माण कराया जाना।	(1) मैं इसका परीक्षण करवा दूंगा । (2) उसको ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से करवाने का प्रयास करूंगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

सहकारिता विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	ध्यानाकर्षण सूचना क्र. दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
98	ध्यानाकर्षण सूचना क्र.130 दि. 24.02.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	<p>(1) श्योपुर जिला सहकारी बैंक का मुख्यालय मुरैना के स्थान पर श्योपुर नगर में स्थापित कराया जाना ।</p> <p>(2) प्रदेश में जिलों के विभाजन के पश्चात् गठित 12 नए जिलों में जिला सहकारी बैंक स्थापित किये जाने की कार्यवाही किया जाना।</p>	<p>(1) हमने अपने अधिकारियों से, विभाग से कहा है कि एक बार सभी का परीक्षण करें, देख लें कि जहां-जहां वायबिलिटी हो, वहां का जो वर्तमान बोर्ड काम कर रहा है, उससे प्रस्ताव मंगाकर और यदि वह प्रस्ताव नहीं भी देता है, तो उसके बावजूद शासन स्तर से हम कार्यवाही करके और जहां-जहां इसकी साध्यता होगी, हम वहां पर बैंक खोलने की कार्यवाही आगे नाबार्ड के लिये भी और आरबीआई के लिये भी हम इसे सुनिश्चित करेंगे ।</p> <p>(2) इस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और उस जिले की समस्याओं को देखते हुए यहां पर वह स्वतंत्र बैंक की अनुमति दें । जहां-जहां अन्य जिलों में भी, जिन जिलों को मैंने नाम लिया है, यहां पर भी मैं परीक्षण करवा लूंगा । एक बहुत अच्छा प्रश्न है । इससे पूरे राज्य के ऐसे जिले जिनका बंटवारा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि इन सभी में जैसी-जैसी स्थिति बनती जाती है, वैसी-वैसी शाखाएं स्थापित हों ।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>(3) नवगठित जिलों में विभिन्न स्थानों पर संबंधित जिले की जिला सहकारी बैंको की शाखाएं आरंभ किया जाना ।</p> <p>(4) एवं (5) जिला सहकारी बैंको के निर्वाचित संचालक मण्डल के पदाधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर सभी जिला सहकारी बैंको की नवीन शाखाएं आरंभ कराई जाना ।</p>	<p>(3) अप्रैल में भेज देंगे ।</p> <p>(4) हम एक बार पूरा परीक्षण करके और सभी अधिकारियों को साथ में बिठाकर और यदि संभव होगा, तो बैंक का जो निर्वाचक मंडल बोर्ड कार्यरत है, उसके अधिकारियों को और उसके अध्यक्षों को भी बुलाकर हम उनके साथ सहमति बनाकर और हम सभी का अप्रैल के माह में पूरे प्रोसेज में लाकर यह काम करेंगे ।</p> <p>(5) निश्चित रूप से बुला लेंगे और जो बोर्ड नहीं भेजेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।</p>		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

राजस्व विभाग

दिनांक 24.02.2015

आश्वासन क्रमांक	ध्यानाकर्षण सूचना क्र. दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	ध्यानाकर्षण सूचना क्र.99 दि. 24.02.2015 (डॉ.रामकिशोर दोगने)	हरदा जिले के टिमरनी विकासखण्ड के ग्रामों में आंधी एवं ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति का आकलन कराकर प्रभावित कृषकों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान अनुसार मुआवजा दिलाया जाना ।	किसानों का अगर नुकसान हुआ है तो उसका आकलन हम निश्चित रूप से कराएंगे।		